1. हरिप्रकाश सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह
3. कुशल कुवंर वेवा स्व. प्रवेन्द्र सिंह
निवासी गोरखपुर तहसील व जिला
राजगढ़ (म.प्र.) —— आवेदकगण

विरूद्ध

1. शिवराज सिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत
2. अभयसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत
3. खुमानसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत
निवासी गोरखपुर तहसील व जिला
राजगढ़ (म.प्र.) .—— अनावेदकगण

निराकृत / निर्णित
आदेश दिनांक.....

<u>न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/ए–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2014 विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1550 / III / 14 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27.5.14	यह निगरानी तहसीलदार राजगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 6/अ–27/2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12–5–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदकगण एंव अनावेदकगण की पारिवारिक भूमि का बटवारा तहसील न्यायालय में लम्बित है जिसमें भूमि के बटवारा हेतु पटवारी हलका नंबर 25 गोरखपुरा व्दारा फर्द तैयार कर प्रस्तुत की गई, जिस पर आवेदकगण एंव अनावेदकगण ने आपत्तियॉ दर्ज कराई। तहसीलदार व्दारा आवेदकगण की आपत्ति इस आधार पर अमान्य कर दी कि कब्जे के आधार पर नई फर्दे बनाने की आपत्ति गलत है क्योंकि बटवारा स्वत्व के मान से किया जाता है, जबकि अनावेदक व्दारा हक के मान से 1/3 हिस्से की फर्दे बनाने एंव विकीत भूमियों को हिस्से में कम करके नई फर्दे बनाने की आपत्ति की गई है जिसे स्वीकार कर पुनः फर्दे तैयार करने का निर्णय लेने में भूल की गई है। 4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 12–5–14 के अवलोकन पर पाया गया कि उभय पक्ष व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में की गई आपत्ति पर स्थिति यह है कि पटवारी व्दारा जो फर्द तैयार कर	